प्रतिवेदित

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 5926/2021

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 6030/2021 से उत्पन्न)

सत्य प्रकाश द्विवेदी ... ..अपीलार्थी

बनाम

मुन्ना उर्फ चंद्रभान यादव और अन्य ... ...प्रत्यर्थी

निर्णय

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना

1 अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलकर्ता सड़क यातायात दुर्घटना में घायल हो गया था।इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश संख्या 3182/2017 से प्रथम अपील 28.01.2021 दिनांकित के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर उन्होंने यह अपील दायर की है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उनके द्वारा दायर उक्त अपील को खारिज कर दिया और मुआवजे की राशि को इस आधार पर 5,42,633/- रुपये से घटाकर 3,26,833/- रुपये कर दिया, कि मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (सुविधा के लिए, 'ट्रिब्यूनल') ने मनमाने ढंग से बिना किसी सबूत के 50% की दर से कार्यात्मक अक्षमता का अर्थ लगाया था।उच्च न्यायालय ने 20% कार्यात्मक अक्षमता का आकलन करना उचित समझा क्योंकि

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

यह कहीं उल्लेख नहीं किया गया था कि अक्षमता की प्रकृति स्थायी थी और अपरिवर्तनीय थी।

3. इस अपील में जो लघु प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के कार्य में मुआवजे की वृद्धि की मांग करने वाले घायल दावेदार द्वारा दायर प्रथम अपील में ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे को कम कर सकता है।अन्य शब्दों में, क्या उच्च न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (संक्षेप में, 'सीपीसी') के आदेश XLI नियम 33 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने में न्यायोचित ठहराया गया था।

4. स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तथ्य यह है कि अपीलकर्ता –दावेदार दिनांक 30.10.2002 को शाम के लगभग 6.30 बजे अपनी मोटरसाइकिल जिसका पंजीकरण संख्या UP93H–5532 है, से जाते हुए गलत दिशा से आ रहे ट्रक जिसका पंजीकरण संख्या UP32Z–2570 है, से टकराने से दुर्घटना हो गई जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं।हालांकि अपीलकर्ता –दावेदार ने लगभग 470 दिनों तक उपचार किया, लेकिन वह विकलांग हो गया।दुर्घटना के समय वह 32 वर्ष का था और एक कैंटीन चला रहा था और प्रति माह 10,000/– कमा रहा था।अपीलकर्ता ने दावा याचिका दायर करने की तारीख से दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण वास्तविक भुगतान की तारीख तक 17% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 17 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए दावा याचिका दायर किया।

5. यह उल्लेख करना उचित है कि ट्रिब्यूनल ने शुरू में मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या 299/2002 में पारित अपने निर्णय 30.10.2006 दिनांकित के माध्यम से निर्णय की तारीख से 7% वार्षिक ब्याज के साथ 6,03,000/– का मुआवजा दिया था।उक्त अधिनिर्णय से व्यथित होकर प्रत्यर्थी–बीमा कंपनी ने आदेश संख्या

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

293/2007 से प्रथम अपील दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।आदेश 03.12.2015 दिनांकित द्वारा उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को छोड़कर निर्णय 30.10.2006 दिनांकित को अपास्त कर दिया कि दुर्घटना वास्तव में हुई थी, उक्त अपील की अनुमति दी गई और उक्त आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए ट्रिब्यूनल को भेज दिया।

6. प्रतिप्रेषण पर ट्रिब्यूनल ने याचिका दायर करने की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 5,42,633/– का मुआवजा देने का निर्णय और आदेश 01.07.2017 दिनांकित को याचिका का वास्तविक भुगतान की तिथि तक शरीर के उस विशेष भाग में 50% तक स्थायी विकलांगता को स्वीकार करके और उसकी आय का 54,000/– प्रति वर्ष के रूप में ध्यान में रखते हुए पारित किया।ट्रिब्यूनल ने भविष्य के नुकसान की गणना में 15 का गुणक भी लागू किया और अन्य शीर्षों का मुआवजा भी दिया।उक्त पुरस्कार से संतुष्ट नहीं होने पर , अपीलार्थी–दावेदार ने आदेश संख्या 3182/2017 से प्रथम अपील होने की अपील दायर की।

7. आक्षेपित आदेश 28.01.2021 दिनांकित द्वारा उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा मूल्यांकन के रूप में 50% के बजाय 20% की दर से कार्यात्मक विकलांगता का आकलन किया, दावेदार की आयु 35 वर्ष से अधिक होने का आकलन किया और 15 के गुणक को लागू करके, कुल मुआवजे की गणना आय के नुकसान के तहत 1,51,200/– रुपये पर की गई।उच्च न्यायालय ने अन्य मदों के तहत अर्थात 53,633/– रूपये चिकित्सा उपचार के मद में; 25,000/– रूपये मानसिक और शारीरिक पीड़ा के मद में; 36,000/– रूपये आय की हानि के मद में; 18,000/– रूपये पौष्टिक आहार के मद में; 5,000/– रूपये आने जाने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

के खर्च के तहत मुआवज़ा भी दिया।उच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने परिचारक शुल्क और भविष्य के उपचार के मद में कोई मुआवजा नहीं दिया है, इसने उन मदों के तहत क्रमशः 18,000/– और 20,000/– की राशि का मुआवजा दिया, भले ही उच्च न्यायालय ने सम्पूर्ण मुआवजे को 5,42,633/– रुपये से घटाकर 3,26,833 रुपये कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मुआवजे की कुल कमी 2,15,800/– रुपये हो गई।यह ट्रिब्यूनल द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 50% के बजाय 20% की दर से कार्यात्मक विकलांगता के कारण था।दावेदार की उम्र का आकलन भी 35 वर्ष से अधिक के रूप में किया गया था और 36 से 40 वर्ष के बीच में किया गया था।ट्रिब्यूनल द्वारा लागू 17 के बजाय 15 के गुणक को लागू किया गया था।इसलिए इस अपील को विशेष अनुमति है।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

9. अपीलार्थी–दावेदार के विद्वत अधिवक्ता श्री विपिन कुमार ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता को दिए गए मुआवजे की मात्रा को कम करने के लिए उच्च न्यायालय सही नहीं था, उसके द्वारा दायर अपील में उसे बढ़ाने की मांग की गई थी। अपीलकर्ता की मुख्य शिकायत यह है कि अपीलकर्ता–दावेदार द्वारा दायर अपील में ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे को कम करने के लिए उच्च न्यायालय को सीपीसी के आदेश XLI नियम 33 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए।यह कहा गया था कि एक ओर उच्च न्यायालय ने कार्यात्मक विकलांगता के प्रतिशत को 50% से घटाकर 20% कर दिया, साथ ही उच्च न्यायालय ने क्रमशः 18,000/– और 20,000/– रूपये की राशि में 'परिचर शुल्क' और 'भविष्य के चिकित्सा उपचार शुल्क' के मदों के तहत मुआवजा दिया।यह कहा गया था कि उच्च न्यायालय को सीपीसी के आदेश XLI नियम 33 के तहत अपनी शक्ति का

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रयोग विशेष रूप से प्रतिवादी–बीमा कंपनी द्वारा दायर किसी भी अपील या प्रत्याक्षेप के अभाव में नहीं करना चाहिए।सीपीसी के आदेश XLI नियम 33 के तहत शक्ति को असाधारण मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए जब इसके अप्रयोग से विभिन्न पक्षकारों के अधिकारों के समायोजन में कठिनाई होगी।इसलिए , यदि यह न्यायालय अधिक मुआवजा देने को तैयार नहीं है तो अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णय को अपास्त करने की मांग की।

10. प्रतिवादी–बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एल. गुप्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और अधिनिर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि इस अपील में कोई गुणावगुण नहीं है।

11. हमने तथ्यों और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में संबंधित पक्षकारों की तथ्यों पर विचार किया है।

12. दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI नियम 33 इस प्रकार है:

> "33. अपील न्यायालय की शक्ति– अपील न्यायालय की यह शक्ति होगी कि वह कोई ऐसी डिक्री पारित करे या कोई ऐसा आदेश करे जो पारित की जानी चाहिए थी या जो किया जाना चाहिए था, और ऐसा या अतिरिक्त या अन्य डिक्री या आदेश पारित करे, जो मामले में अपेक्षित हो, और उस शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि अपील डिक्री के केवल भाग के बारे में है और यह शक्ति सभी प्रत्यर्थियों या पक्षकारों या उनमें से किसी के भी पक्ष में प्रयोग की जा सकेगी, यद्यपि ऐसे प्रत्यर्थियों या पक्षकारों ने कोई भी अपील या आक्षेप फाइल न किया हो।
>
> परन्तु अपील न्यायालय धारा 35क के अधीन कोई भी आदेश किसी ऐसे आक्षेप के अनुसरण में नहीं करेगा जिस पर उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

की अपील की गई है, ऐसा आदेश नहीं किया है या ऐसा आदेश करने से इन्कार किया है।"

13. दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI नियम 33 को पढ़ने पर यह पता चलता है कि अपीलीय न्यायालय के पास किसी भी डिक्री या आदेश, और ऐसी अन्य डिक्री या आदेश पारित करने के लिए जैसा मामला अपेक्षित हो, की शक्ति है जिसे पारित किया जाना चाहिए था।इस बात के बावजूद कि अपील डिक्री के एक भाग के विरूद्ध है, इस शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा सभी या किसी भी प्रत्यर्थी के पक्ष में किया जा सकता है, यद्यपि इस तरह के प्रत्यर्थी ने कोई अपील या आपत्ति दर्ज नहीं की हो सकती है। हालाँकि, उक्त शक्ति को सावधानी या सतर्कता के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, विशेष रूप से अनुपस्थिति में प्रत्यर्थियों द्वारा कोई प्रत्याक्षेप या अपील दायर की जा रही है।इस तरह की शक्ति को असाधारण मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए जबकि इसके प्रयोग न करने से पक्षकारों के अधिकारों के समायोजन में कठिनाइयों को जन्म देगा।

14. पूर्वोक्त नियम उन डिक्री में हस्तक्षेप करने के लिए अप्रतिबंधित अधिकार प्रदान नहीं करता है जिन पर केवल इसलिए चुनौती नहीं दी जाती है क्योंकि अपीलीय न्यायालय अपील किये गए न्यायालय की राय से सहमत नहीं होता है। कानून के अनुसार अपील तय करना अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य है।अपीलीय न्यायालय को किसी मामले का फैसला करते समय साक्ष्य के लिए अपने न्यायिक मष्तिष्क को लागू करना चाहिए और गुण–दोष के आधार पर किसी निर्णय में हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए या पूरी तरह से तकनीकी आधार पर उलट नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसका परिणाम न्याय की विफलता न हो।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

15. हालांकि तत्कालीन मामले में उच्च न्यायालय ने राज कुमार बनाम अजय कुमार–(2011) 1 एससीसी 343, में इस न्यायालय के फैसले पर अवलम्ब लिया है, हमारे विचार में यह कार्यात्मक अक्षमता के प्रतिशत को 50% से 20% तक कम नहीं कर सकता था, जबकि बीमा कंपनी द्वारा और ऐसा करने के लिए उचित कारणों को दर्ज करने के अभाव में दायर अपील या प्रत्याक्षेप द्वारा ट्रिब्यूनल के दिये गए उक्त निष्कर्ष की कोई चुनौती नहीं थी।जैसा कि पहले ही कहा गया है, घायल अपीलकर्ता–दावेदार ने मुआवजे की दर में वृद्धि की मांग करते हुए अपील दायर की थी कि वह अपने शरीर के विशेष भागों में 70% विकलांगता का सामना कर रहा था लेकिन ट्रिब्यूनल ने इसकी अनदेखी की थी और केवल 50% की दर से विकलांगता का आकलन किया था। गुण–दोष के आधार पर उस विवाद पर विचार करने के बजाय, उच्च न्यायालय ने इसकी उपेक्षा की और इसके बजाय प्रतिवादी–बीमा कंपनी के तर्कों को महत्व दिया जो इस आशय का था कि 50% की दर से कार्यात्मक विकलांगता की गणना उच्च पक्ष पर थी और इसे कम किया जाना था और इसलिए, पक्षकारों को पूर्ण न्याय करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI नियम 33 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता था।हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय इस मामले में अपने दृष्टिकोण में सही नहीं था कि प्रतिवादी – बीमा कंपनी ने ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई मुआवजे की राशि में कमी के लिए कोई अपील दायर नहीं की थी और परिणामस्वरूप, घायल अपीलकर्ता–वादी द्वारा दायर अपील में, मुआवजे में वृद्धि की मांग करने वाले अपीलकर्ता –दावेदार की याचिका की अनदेखी करके बीमा कंपनी के तर्क को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।उसके द्वारा दायर अपील में मुआवजे की वृद्धि की मांग करते हुए अपीलकर्ता–दावेदार ट्रिब्यूनल द्वारा उसे दिए गए मुआवजे से अधिक कम नहीं हो सकता था।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

16. यह नोट किया जाता है कि जिला अस्पताल हमीदपुर में आर्थोपेडिक सर्जन और मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉ. पुष्कर आनंद ने इस बात का विरोध किया था कि दुर्घटना में उसे लगी चोटों के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को अपने दोनों घुटनों, पैर की उंगलियों और कलाई में आंशिक कठोरता का सामना करना पड़ा। वह पैरों को हिलाने डुलाने में अक्षम था और इसलिए, उसे 70% विकलांगता पर आंका गया था न कि पूरे शरीर की विकलांगता को। ट्रिब्यूनल, हालांकि, ने कहा कि विकलांगता केवल 50% थी क्योंकि डॉक्टर ने भी स्वीकार किया था कि अपीलकर्ता का काम इतना बुरी तरह प्रभावित नहीं होगा जितना कि उसके द्वारा दावा किया गया था।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विकलांगता के प्रतिशत को यह मानते हुए केवल 20% तक कम कर दिया है कि निचले अंगों में कम नहीं किया गया था और यह कि पैरों में जोड़ों की जकड़न चोट या बीमारी जैसे कि 'एंकिलोसिस' के कारण हो सकती है। लेकिन वास्तव में, अपीलकर्ता के दोनों निचले अंगों और हाथों में फ्रैक्चर था।

17. हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI नियम 33 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना और ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे को 5,42,633/– रुपये से घटाकर 3,26,833/– रुपये यानी मुआवजे की राशि में कुल 2,15,800/– रुपये की कमी करना उचित नहीं था।साथ ही, उच्च न्यायालय ने 'अटेंडेंट' और 'भविष्य के इलाज' के शुल्कों के मद में अतिरिक्त मुआवजे का आदेश दिया।

18. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और अधिनिर्णय को अपास्त करके ट्रिब्यूनल द्वारा इसके निर्णय 01.07.2017 दिनांकित को दिए गए मुआवजे यानी 5,42,633/– रूपये को बहाल करना न्यायोचित पाते हैं।इसके परिणामस्वरूप हम प्रतिवादी–बीमा कंपनी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

को दावा याचिका दायर करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर अपीलकर्ता–दावेदार को वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ उक्त मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हैं।

19. तदनुसार आदेश हुआ।

20. पूर्वोक्त शर्तों में अपील को अनुमति प्रदान की जाती है।कोई लागत नहीं। 21. लंबित वार्ताकार आवेदन, यदि कोई हो, का निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़]

[न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना]

नई दिल्ली;

17 सितम्बर 2021

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"